Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – **मुकेश कुमार मूंड** R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– **34 / 2017** दायर तारीख :– **02.05.2017**

1. सरोज देवी पत्नि राजेन्द्रप्रसाद
2. मीरा देवी पत्नि हेमराज
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र बोदूराम

समस्त जाति यादव, निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर, जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. सरोज देवी पत्नि बन्शीलाल
2. श्रवण देवी पत्नि भींवाराम
3. प्रभाती पत्नि हरभगत
4. अर्जुन
5. नरेश
6. प्रहलाद
7. गोविन्द
8. गिरधारी

(4 से 8) पुत्रान हरभगत

9. सुरजन पुत्र हरभगत (फौत)
   9/1. हरिराम पुत्र हरभगत
   9/2. रिकेश
   9/3. आदेश
   9/4. विदेश
   (9/2 से 9/4) पुत्रीयां सुरजन
   9/5. कोयली देवी पत्नि सुरजन

(1 से 9/5) समस्त जाति यादव निवासी जयसिंपुरा तहसील विराटनगर

10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता वादीगण
श्री अनिल कुमार कौशिक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 से 9
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 14.02.2018

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 1337/4.0 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 का हिस्सा 1/2, प्रतिादी संख्या 1 का हिस्सा 11/400, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 100/400 एवं वादीगण का हिस्सा 89/400 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर हिस्सानुसार काबिज काश्त है तथा मौके पर कुआ, बोरिंग व रिहायशी मकानात बनाकर उनका उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9, वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। वादीगण ने आराजी मुतनाजा का हिस्सानुसार बंटवारा कराने हेतु प्रतिवादी से कहा, तो वे वादीगण के साथ झगडा करने पर आमादा हो गये तथा कानूनी बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया। वर्तमान परिस्थितियों में वादीगण का, प्रतिवादीगण के साथ शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम जयसिंहपुरा के हाल खसरा नम्बर 1337/4.00 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा करवाया जावे तथा वादीगण को उक्त बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा संभलाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे साथ ही प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट प्रतिनिधि, स्थानापन्न वारिसान आदि को सदा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जा काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किस प्रकार की बाधा कारित नहीं करे।
2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। पैराकार सरकार उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074 पेश की गई।
4. तारीख पेशी दिनांक 20.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 1, 4 एवं 5 स्वयं उपस्थित हुए तथा प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाये जाने पर सहमति प्रकट की गई। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये गये कि प्रकरण में

राजस्व मण्डल राजस्थान के नियम 18 से 21 के तहत कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश करें।

5. तहसीलदार विराटनगर की कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 28.07.2017 पेश हुई।
6. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी सुनी गई एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर अधिवक्ता प्रतिवादी की आपत्ति रही कि प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 की गैर मौजूदगी में बिना सूचित किये ही मनमर्जी तरीके से पक्षकारों के कब्जा काश्त के विपरीत बनायी गई है। यह भी कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, अतः बाद जवाब कुर्रेजात तलब किया जाना न्यायसंगत है।

   प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में अधिवक्ता वादी का तर्क रहा कि कुर्रेजात रिपोर्ट उभय पक्षों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार की गई है साथ ही प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट उभय पक्षो की सहमति से मंगवायी गई है, यह भी कि प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित है, जिसमें नियमानुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई अतः प्रकरण में जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है।
7. प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर के द्वारा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौका कब्जा एवं रिकार्ड के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 06.02.2018 को पेश की गई।
8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2071–2074 ग्राम जयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 1337/4.0 हैक्टेयर की खातेदारी प्रभाती पत्नि हरभगत, अर्जन, नरेश, प्रहलाद, गोविन्द, गिरधारी पिता हरभगत हिस्सा 3/7, सुरजन पुत्र हरभगत हिस्सा 1/14, मूला पुत्र शिवनाथ हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड रही है, जिसमें नामान्तकरण संख्या 1422 दिनांक 20.08.2014 बेचान से मूला पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/2 के स्थान पर सरोज देवी पत्नि बंशीलाल यादव हिस्सा 11/400 स्वीकार हुआ, नामान्तकरण संख्या 1424 दिनांक 20.08.2014 बेचान से मूलाराम पुत्र श्योनाथ हिस्सा 189/400 के स्थान पर श्रवण देवी पत्नि भींवाराम यादव हिस्सा 100/400, नामानतकरण संख्या 1445 दिनांक 05.11.2014 बेचान से मूल्या पुत्र श्योनाथ हिस्सा 89/400 के स्थान पर सरोज देवी पत्नि

राजेन्द्र प्रसाद यादव, मीरा देवी पत्नि हेमराज यादव हिस्सा 89/600, जितेन्द्र कुमार पुत्र बोदूराम यादव हिस्सा 89/1200 के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदारी हुई है।

अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क रहा कि प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 की गैर मौजूदगी में बिना सूचित किये ही मनमर्जी तरीके से पक्षकारों के कब्जा काश्त के विपरीत बनायी गई है।

अधिवक्ता वादी का तर्क रहा कि कुर्रेजात रिपोर्ट उभय पक्षों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार की गई है साथ ही प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट उभय पक्षो की सहमति से मंगवायी गई है, यह भी कि प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित है, जिसमें नियमानुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई अतः प्रकरण में जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 20.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 1, 4 एवं 5 ने स्वयं उपस्थित होकर कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाये जाने पर सहमति प्रकट की गई।

प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौका कब्जा एवं रिकार्ड के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।

जहां, तक अधिवक्ता प्रतिवादी का प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का प्रश्न था, उसके संबंध में संबंधित खातेदारों को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है, तथा पक्षकारान की सहमति से ही कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जो पक्षकारों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार है।

9. वादीगण ने अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना उचित पाता हूॅं।

10. परिणामतः वादीगण वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

<u>आदेश</u>

वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	प्रभाती पत्नि हरभगत, अर्जुन, नरेश, प्रहलाद, गोविन्द, गिरधारी, सुरजन पिता हरभगत	1337/1.9450 हैक्टेयर
2	श्रवण देवी पत्नि भींवाराम	1337/2/0.9725 हैक्टेयर
3	सरोज देवी पत्नि बंशीलाल	1337/3/0.1072 हैक्टेयर
4	सरोज देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद, मीरा देवी पत्नि हेमराज यादव	1337/4/0.5783 हैक्टेयर
5	जितेन्द्र कुमार पुत्र बोदूराम यादव	1337/5/0.2870
6	मुताबिक जमाबन्दी शामलाती खातेदारी	1337/6/0.11 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले हिस्सा एवं खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 14.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर, जयपुर

बइजलास :— मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. सरोज देवी पत्नि राजेन्द्रप्रसाद
2. मीरा देवी पत्नि हेमराज
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र बोदूराम

समस्त जाति यादव, निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर, जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. सरोज देवी पत्नि बन्शीलाल
2. श्रवण देवी पत्नि भींवाराम
3. प्रभाती पत्नि हरभगत
4. अर्जुन
5. नरेश
6. प्रहलाद
7. गोविन्द
8. गिरधारी

(4–8) पुत्रान हरभगत

9. सुरजन पुत्र हरभगत (फौत)
   9/1. हरिराम पुत्र हरभगत
   9/2. रिकेश
   9/3. आदेश
   9/4. विदेश
   (9/2–9/4) पुत्रीयां सुरजन
   9/5. कोयली देवी पत्नि सुरजन

(1–9) समस्त जाति यादव निवासी जयसिंपुरा तहसील विराटनगर

10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 34/2017 **दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री मदनलाल जाट एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री अनिल कुमार कौशिक एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा के हाल खसरा नम्बर 1337/4.00 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा करवाया जावे तथा वादीगण को उक्त बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा संभलाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करवाया जावे साथ ही प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट प्रतिनिधि, स्थानापन्न वारिसान आदि को सदा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जा काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किस प्रकार की बाधा कारित नहीं करे। **सुना गया।** वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है, जिसके संबंध में तहसीलदार विराटनगर से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधनों अनुसार बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। वादी ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	प्रभाती पत्नि हरभगत, अर्जुन, नरेश, प्रहलाद, गोविन्द, गिरधारी, सुरजन पिता हरभगत	1337/1.9450 हैक्टेयर
2	श्रवण देवी पत्नि भींवाराम	1337/2/0.9725 हैक्टेयर
3	सरोज देवी पत्नि बंशीलाल	1337/3/0.1072 हैक्टेयर
4	सरोज देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद, मीरा देवी पत्नि हेमराज यादव	1337/4/0.5783 हैक्टेयर
5	जितेन्द्र कुमार पुत्र बोदूराम यादव	1337/5/0.2870
6	मुताबिक जमाबन्दी शामलाती खातेदारी	1337/6/0.11 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले हिस्सा एवं खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 14.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य..................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख ....** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर